न्यायालय अवर न्यायाधीश ।।, पीरो (भोजपुर)
स्वत्व वाद सं० ९३/ २०१८

Serial no.	Date of Order of proceeding	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	०८-०२-२०२१	उभय पक्ष की ओर से उपस्थिति पत्र दाखिल किया गया है। अभिलेख को वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक २४-१०-२०१९ पर उभय पक्ष के सुनवाई के पश्चात आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। **आदेश** वादी के तरफ से दिनांक २४-१०-२०१९ को धारा १५१, आदेश १८ नियम १६ व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इस आशय का आवेदन दिया गया है कि प्रतिवादी किरण देवी व प्रतिवादी कलेक्टर सिंह की ओर से एक संयुक्त बयान तहरीरी दिनांक १७-०९-२०१९ को दाखिल किया गया है जिसमें वादी के द्वारा किए गए बयान दफा ३२ से ४० को गलत बताया गया है। दफा २१ से २३ को मुकदमा बाजी के नियत से किया गया बताया गया है। तथा दफा २४ से ३१ में किए गए बयान को गलत व आधार हीन बताया गया है और कहा गया है कि कलक्टर सिंह को सोचने की शक्ति है और उनको शारिरिक रूप से सोचने की शक्ति है और यह भी बताया गया है कि स्वस्थ चित्त से बक्शीसनामा किए है क्योंकि किरण देवी उनकी सेवा में हमेशा रत रहती है। जबकि सच्चाई है कि अपराध के बल पर डरा धमकाकर अन्याय करके सारा कार्यवाही किया गया है और उनको जबरन किरण देवी के पति के परिवार वाले अपने घर पर बंद करके रखे हैं। कलक्टर सिंह अत्यंत ही वृद्ध स्थिति में है और उनका गवाही वास्तविकता की जानकारी के दृष्टि से करना आवश्यक है उनकी गवाही कराने के लिए प्रतिवादी किरण देवी कभी प्रस्तुत नहीं करेंगी। क्योंकि वह अभी भी जबरन कैद करके रखे गए हैं इसलिए कलक्टर सिंह का गवाही हो जाने से स्थिति पता चल जाएगा , किरण देवी के परिवार वालो ने कलक्टर सिंह के बेटा का हत्या भी कर दिया था। वादी को यह विश्वास है कि प्रतिवादी सं० २ कभी भी साक्ष्य के लिए कलक्टर सिंह को नहीं ले आयेंगे। उनकी इच्छा के विरुद्ध एवं बिना उनके जानकारी के उनके तरफ से बयान तहरिरी दाखिल किया गया है। प्रतिवादी सं० २ का परिवार कलक्टर सिंह के मृत्यु का इंतजार करेगा या उन्हे भी जान से मार देगा। इस दृष्टि से भी साक्ष्य आवश्यक है। मुकदमा को पूर्ण रूप से तैयार होकर वादी का साक्ष्य लिए जाने में और वादी के साक्ष्य समाप्त होने मे काफी समय लग सकता है और कलक्टर सिंह के साथ कुछ अनिष्ट होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः न्यायलय से निवेदन है कि कलक्टर सिंह को न्यायालय में गवाही देने का आदेश देने की कृपा करें । प्रतिवादी सं० १ व २ के तरफ से वादी के आवेदन पर इस आशय का प्रति उत्तर दाखिल किया गया है कि वादी का आवेदन पोषणीय नहीं है। इस वाद में अभी दोनो पक्ष को कागजात दाखिल करना है तथा वाद बिन्दु भी बनना बाकी है वादी के द्वारा अपने आवेदन में जो भी कारण दिखाया गया है वह आदेश १८ नियम १६ के तहत विचारणीय नहीं है। वादी के तरफ से जो भी आरोप प्रतिवादी पर लगाया गया है वह आधार हीन है। अतः वादी के आवेदन दिनांक २४-१०-१९ को खर्चा सहित खारिज किया जाए । प्रतिवादी सं० ३ ता ५ के तरफ से वादी के आवेदन पर प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है कि वादी का आवेदन पोषणीय नहीं है इस वाद में अभी दोनो पक्ष को कागजात दाखिल करना है तथा वाद बिन्दु भी बनना बाकी है वादी के द्वारा अपने आवेदन में जो भी कारण दिखाया गया है वह आदेश १८ नियम १६ के तहत विचारणीय नहीं है। वादी के तरफ से जो भी आरोप प्रतिवादी पर लगाया गया है वह आधार हीन है। वादी के द्वारा लगाया गया आरोप आपराधिक प्रकृति का है।अतः वादी के आवेदन दिनांक २४-१०-१९ को खर्चा सहित खारिज किया जाए । उभय पक्षो को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी आशनन्दन सिंह के द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध अन्य औपचारिक अनुतोष के अलावा मुख्य रुप से इस हेतु लाया गया है कि घोषित कर दिया जाए कि वाद पत्र के सूची क के भूमि के संबंध में लिखा गया दस्तावेज़ गलत गैर कानूनी व नाजायज है और अमल दरामद होने योग्य नहीं है, निषेधाज्ञा आदेश लगाकर मुकदमा के दौरान हस्तांतरण करने से रोक लगा दिया जाए। वर्तमान में अभिलेख उभय पक्ष के द्वार अपने अपने कागजात दाखिल करने हेतु लम्बित है ,तथा इस दौरान वादी के तरफ दे आदेश १८ नियम १६ के तहत आवेदन दिया गया है जिसका कि प्रतिवादी पक्ष के द्वार विरोध किया गया है । सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश १८ नियम १६ के अनुसार जहां साक्षी न्यायालय की अधिकारिता से बाहर जाने वाला है या इस बात का पर्याप्त कारण न्यायालय को समाधानप्रद रुप से दर्शित कर दिया जाता है कि उसका साक्ष्य तुरन्त क्यों लिया जाना चाहिए वहां न्यायालय वाद को संस्थित किए जाने के पश्चात कभी भी ऐसे साक्षी का साक्ष्य किसी भी पक्षकार या उस साक्षी के आवेदन पर ले सकता है। वादी के तरफ से अपने आवेदन में कहा गया है कि उनको जबरन किरण देवी के पति के परिवार वाले अपने घर पर बंद करके रखे हैं। कलक्टर सिंह अत्यंत ही वृद्ध स्थिति में है और उनका गवाही वास्तविकता की जानकारी के दृष्टि से करना आवश्यक है उनकी गवाही कराने के लिए प्रतिवादी किरण देवी कभी प्रस्तुत नहीं करेंगी। वादी को यह विश्वास है कि प्रतिवादी सं० २ कभी भी साक्ष्य के लिए कलक्टर सिंह	
	लगातार **०८-०२-२०२१**		

<u>न्यायालय अवर न्यायाधीश ।।, पीरो (भोजपुर)</u>
<u>स्वत्व वाद सं० ९३/ २०१८</u>

		को नहीं ले आयेंगे। उनकी इच्छा के विरुद्ध एवं बिना उनके जानकारी के उनके तरफ से बयान तहरिरी दाखिल किया गया है। प्रतिवादी सं० २ का परिवार कलक्टर सिंह के मृत्यु का इंतजार करेगा या उन्हे भी जान से मार देगा। इस दृष्टि से भी साक्ष्य आवश्यक है। मुकदमा को पूर्ण रूप से तैयार होकर वादी का साक्ष्य लिए जाने में और वादी के साक्ष्य समाप्त होने मे काफी समय लग सकता है और कलक्टर सिंह के साथ कुछ अनिष्ट होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। वादी के तरफ से आवेदन के समर्थन में कागज़ात भी दाखिल किया गया है, परन्तु अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी जिस गवाह का साक्ष्य कराने की बात कर हरे है वह स्वंय प्रतिवादी सं० १ है जिनके तरफ से इस वाद में बयान तहरीरी भी दाखिल किया गया है। वाद को साबित करने का सम्पूर्ण भार वादी पक्ष पर होता है, वादी के केवल उप धारणा मात्र से यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादिनी सं० २ प्रतिवादी सं० १ को साक्ष्य के लिए प्रस्तुत नहीं करेंगे न ही वादी के तरफ से प्रस्तुत कागजात के आधार पर यह साबित होता है कि प्रतिवादिनी सं० २ ने जबरन प्रतिवादी सं० १ को बंधक बना कर रखा है जबकि प्रतिवादी सं० १ के अधिवक्ता ने सुनवाई के समय स्वंय न्यायालय में कहा है कि प्रतिवादी सं० १ स्वस्थ चित्त है और इन्हे बंधक नहीं बनाया गया है । वादी का आवेदन भी लगभग एक साल पूराना है परन्तु उस दौरान प्रतिवादी सं० १ के साथ किसी प्रकार के गलत व्यवहार जैसा कि वादी ने आशंका व्यक्त की है की सूचना न्यायालय में वादी के तरफ से नहीं दी गयी है। इसलिए वादी के आशंका मात्र के आधार पर यह नही कहा जा सकता कि प्रतिवादी साक्ष्य के लिए उपस्थित नही होगें या उन्हे प्रस्तुत नही किया जाएगा, उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादी के तरफ से दिया गया आवेदन न्यायोचित प्रतीत नही हो रहा है अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनाक को <u>खारिज</u> किया जाता है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वाद उभय पक्ष के द्वारा मूल कागज़ात दाखिल करने के लिए पूर्व से लंबित है अतः उभय पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि मूल कागज़ात दाखिल करे जिससे वाद बिन्दु का गठन कर साक्ष्य शुरु किया जा सके । वाद दिनांक ०२-०३-२०२१ को उभय पक्ष के द्वारा मूल दस्तावेज दाखिल करने हेतु। अवर न्यायाधीश ।।, पीरो	
	<u>लगातार</u> **०८-०२-२१**		